

FROM NO-3

फर्द अहकाम

(नियम26)

अज अदालत एस0डी0ओ0

मुकाम

सरवाड़

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़

राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खीरिया

केसम मुकदमा 136 दुरुस्ती इन्द्राज नं.

सन् 2018

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

न्याय आपके द्वार अभियान -2018 के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में वादी ने प्रार्थना पत्र पेशकर आवेदन पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सरवाड़ की कैम्प में ही रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संवहन से गलत अंकन हो गया है जो शुद्धिकिये जाने योग्य है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

आवेदन का नाम व पता	बालूशुक्लिया
वाद ग्रस्त भूमि का विवरण	ग्राम - खीरिया खाता-की 90
नाम पटवार हल्का भू0अ0नि0 वृत	खीरिया
वर्तमान (अशुद्ध)प्रविष्टि	बालू
शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।	बालू

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध / दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12

सदस्य  
राज अदालत  
सरवाड़

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़

अध्यक्ष  
लोक अदालत शिविर  
सरवाड़ (अजमेर)